

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।

सेवा में,

ई-मेल

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक-12/06/2026

विषय:- राज्यान्तर्गत मेलों के आयोजन हेतु राशि/आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2894(9), दिनांक-07.08.2025, पत्रांक-174(9), दिनांक-19.01.2026 एवं पत्रांक-330(9), दिनांक-10.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्यान्तर्गत राजकीय घोषित/बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन में सम्मिलित एवं अन्य महत्वपूर्ण मेलों के आयोजन हेतु विभाग स्तर से राशि का आवंटन किया जाता है।

उक्त प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा मेला के आयोजन हेतु राशि की अधियाचना संबंधी प्रतिवेदन मेला अवधि प्रारंभ होने से दो माह पूर्व विभाग को उपलब्ध कराने एवं विभाग स्तर से स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही व्यय किये जाने का निदेश संसूचित है।

प्रायः ऐसा देखा गया है कि मेला आयोजन हेतु राशि की अधियाचना अत्यंत विलम्ब से अथवा मेला अवधि की समाप्ति के उपरांत की जाती है। इस स्थिति में ससमय मेला के आयोजन हेतु राशि स्वीकृत नहीं हो पाती है, जिससे विभाग के लिए देनदारियाँ (Liabilities) उद्भूत कर दिया जाता है। देनदारियों से संबंधित किसी-किसी मामले में माननीय न्यायालय में वाद भी दायर कर दिया जाता है। यह उचित परंपरा नहीं है।

अतएव मेलों के आयोजन हेतु राशि की अधियाचना एवं आवंटन हेतु निम्नांकित कार्रवाई अपेक्षित है:-

1. मेला के आयोजन संबंधी अधियाचना प्रतिवेदन मेला अवधि प्रारंभ होने के कम-से-कम दो माह पूर्व विभाग को उपलब्ध कराया जाए अन्यथा राशि स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा।

2. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में मेला समाप्ति के अधिकतम तीन माह के अन्दर विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

3. आवंटित राशि के व्यय का अनुश्रवण संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से कराया जाए।

4. राशि के व्यय में विशेष ध्यान दिया जाय कि आवश्यक राशि की कटौती का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। साथ ही, तुलनात्मक दर लिया गया है या नहीं।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

12/06/26

उप निदेशक,
सर्वेक्षण कार्यालय।